



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49387

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3361 वर्ष 2026

जितेन्द्र कुमार

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : पंकज बर्मन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी., महेन्द्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज बर्मन, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह और आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण सिंह को सुना।
2. रिट याची का मामला यह है कि उसे नलकूप खंड, गाजियाबाद में सिंचाई विभाग (यांत्रिक) में अवर अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला पद, जिस पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का रिट याची हकदार है, वह सहायक अभियंता का पद है। रिट याची के अनुसार, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सेवा (उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 2007) के नाम और नामकरण से एक भर्ती नियमावली है, जिसे 16.11.2007 को अधिसूचित किया गया था। रिट याची का यह भी मामला है कि नियम 16 के साथ पठित नियम 5 के अंतर्गत यथा अनुध्यात, जो प्रोन्नति द्वारा भर्ती का प्रावधान करता है, रिट याची को 7 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात सहायक अभियंता के रूप में प्रोन्नति प्रदान की जानी चाहिए थी। तथापि, यद्यपि भर्ती वर्ष 2019-20 के लिए, डी. पी. सी. (विभागीय प्रोन्नति समिति) बुलाई गई थी और 44 अभ्यर्थियों को प्रोन्नत किया गया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था, तथापि, रिट याची का नाम छोड़ दिया गया था, तत्पश्चात रिट याची ने इसका विरोध किया और विभिन्न अभ्यावेदन दिए, जिसके अनुसरण में अब दिनांक 22.05.2023 को एक आदेश पारित किया गया है जिसमें रिट याची को वर्ष 2020-2021 के लिए सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नत किया गया है।

3. रिट याची की व्यथा यह है कि रिट याची पर भर्ती वर्ष 2019-20 के लिए सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था, परंतु उसकी प्रोन्नति की संभावनाओं को आस्थगित कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त उदासीनता के कारण रिट याची की किसी भी गलती के बिना, उसकी वरिष्ठता स्थिति को उसके अहित में बदल दिया गया है।
4. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना रिट याची को वर्ष 2020-21 के स्थान पर भर्ती वर्ष 2019-20 के लिए प्रोन्नत मानने और उस तिथि से जब रिट याची वास्तव में प्रोन्नति का हकदार था, वेतन भत्तों और वरिष्ठता सहित पारिणामिक लाभों का भुगतान करने के लिए है।
5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि राज्य का प्रमुख अभियंता (इंजीनियर इन चीफ) को दिनांक 06.01.2021 का एक पत्राचार है, परंतु उनके अनुसार प्रथमतः प्रमुख सचिव, सिंचाई और जल संसाधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा एक सचेत निर्णय लिया जाना है।
6. बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह राय है कि मामले में प्रथमतः प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।
7. तदनुसार, रिट याची को **20.03.2026** तक प्रथम प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, और उक्त प्रस्ताव पर, प्रथम प्रत्यर्थी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह रिट याची का दावा है कि रिट याची सभी प्रकार से अर्ह और उपयुक्त है, दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से 2020-2021 के स्थान पर वर्ष 2019-20 के लिए सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति के लाभ प्रदान करने के संबंध में रिट याची के दावे का निर्णय करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।